



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173333

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2712

सन् 2026

राम कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र देव शुक्ला, राजेश कुमार यादव, शिवम यादव,

विवेक शुक्ला

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के प्रार्थना खंड में सुधार करने की अनुमति दी जाती है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0004 सन् 2026 के तहत, धारा 325, भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा 3/5/5ए/8, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, थाना करीमुद्दीनपुर, जिला- गाज़ीपुर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वह यूपी 91 टी 1931 रजिस्ट्रेशन संख्या वाली पिकअप वाहन का मालिक है। आरोप है कि उस पिक-अप वाहन में छह मवेशियों को ले जाया जा रहा था और पुलिस ने उसे रोककर चार गायें और दो बछड़े बरामद किए, जिनमें से दो मृत पाए गए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही यह बात कही गई है कि पिक-अप वाहन का एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस को वह पलटी हुई हालत में मिली थी। आवेदक को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया था और उस वाहन से ऐसा कोई औज़ार बरामद नहीं हुआ जिसका इस्तेमाल वध के लिए किया जा सके।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक का उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत दो अन्य प्रकरणों का आपराधिक इतिहास रहा है। बार-बार अपराध करने वाला व्यक्ति होने के कारण, आवेदक को अग्रिम जमानत देने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि जिस वाहन की बात हो रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह पलट गई थी। कुल छह मवेशी मिले, जिनमें से चार ज़िंदा थे और दो मरे हुए पाए गए। पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक उस वाहन का ड्राइवर था और उन गायों को ले जा रहा था, या ऐसा कोई और सबूत जिससे पता चले कि मवेशियों को काटने के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि, आवेदक पर उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत दो अन्य प्रकरणों का इतिहास है, लेकिन उसे पहले किसी प्रकरण में दोषी नहीं ठहराया गया है।

8. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यदि आवेदक - **राम कुमार** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

11. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

17 अगस्त, 2026

ए. पांडे